

जन सुनवाई विवरण

मैसर्स रनजीत सिंह द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 03/2018, क्षेत्रफल 1.1934 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,55,175 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.1934 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 का Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A, 11 (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स रनजीत सिंह द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 03/2018, क्षेत्रफल 1.1934 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,55,175 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.1934 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला क्लस्टर, भरतपुर, (जिला क्लस्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2023 को अपराह्न 12:15 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील- पहाडी, जिला - भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांध्य ज्योति दर्पण तथा दिनांक 20.01.2023 को राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स रनजीत सिंह द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 03/2018, क्षेत्रफल 1.1934 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,55,175 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.1934 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।


१५

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनन्दन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदात्री श्रीमती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विशाल प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट विचारों की पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलिक्ड विद स्टोन क्वारि परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।


तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री बलवीर सिंह, निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं स्थानीय युवाओं की बेरोजगारी की समस्या समाप्त होगी। खदान परियोजना यदि नियमानुसार चलाई जाती है तो उन्हें प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् श्री इरशाद निवासी ग्राम छपरा, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि गाँव में बिजली और पानी की समस्या है एवं गाँव में शिक्षा का स्तर बिल्कुल दयनीय है एवं रास्ते कच्चे हैं। प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये एवं बाहरी लोगों को रोजगार देने पर आपत्ति जताई और गाँव में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये रोजगार के अवसर प्रदान किये जावें। परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना प्रस्तावक श्री रनजीत सिंह द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोग रोजगार प्राप्त करने हेतु उनसे सम्पर्क कर सकते हैं एवं सी.एस.आर. की तहत जो भी कार्ययोजना बताई गयी है उनको पूरा किया जायेगा।

तदोपरांत श्री सोहेल निवासी ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिये एवं परियोजना



प्रस्तावक स्थानीय लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करते हैं तो उन्हें परियोजना के पारगमन होने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

श्री शोहेब खान निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खान घर स्थानीय ग्राम वास्तियों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिया जावे, खान मासिक द्वारा गौच, स्कूल आम रास्ते आदि पर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगवाये जावे, पर्यावरण प्रदूषण को दूषित होने से बचाने के लिये पानी का छिडकाव लगातार किया जावे एवं ग्राम के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है व विद्यालय में खेल मैदान नहीं है एवं कच्चा रोड होने के कारण वाहन निकलने पर उड़ने वाली धूल से फसलें खराब होती हैं, चिकित्सा की आधारभूत सुविधा भी उपलब्ध कराई जाये। खनन पट्टाधारी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य करने के साथ खान के काम करने से कोई आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी मांगी गयी कि क्या प्रस्तावित खदान परियोजना में स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाएगा और यदि स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाता है तो क्रशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम हेतु क्या व्यवस्थाए की जाएंगी।

इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि क्रशिंग गतिविधि नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल दमन हेतु, पानी का छिडकाव, मशीनों को ढकने एवं फब्बारे लगाने के साथ पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण प्रत्येक परियोजना प्रस्तावक द्वारा अलग-अलग कराया जाना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदुपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियाँ सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(विवेक मोघल)

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.सं. भरतपुर

(रतन कुमार)

अति. जिला कलेक्टर
भरतपुर, (राज.)



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल

जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स रनजीत सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 03/2018, क्षेत्रफल 1.1934 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,55,175 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर संख्या 14.1934 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति याचक जन सुनवाई दिनांक 22.02.2023 को 12:15 PM से 01:00 PM तक, राजीव गॉंधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	Ratan Kumar	ADM, Bharatpur		
2	Vivek Goel	RO, RPSB, Bharatpur	9530345500	
3	R.N. Mangro	ME, Bharatpur	9828897880	
4	Sajeel Singh	Ad. A.O.	9413014189	
5	Narendra Singh	JEE, RO, RPSB, Bharatpur	9315665199	
6	Kaynat Hassan	CRIPCL, Udaipur	8003182518	
7	Dal Chand Dangi	CRIPCL, Udaipur	8003182518	
8	श्रीरामेश्वर प्रसाद	गंगोरा	9929637584	
9	Gurpreet Goyal	Pahansi	9953272844	
10	देवराज राम शर्मा	गंगोरा	9057012532	
11	तेजपाल	छपरा	9877770944	
12	उमेश कुमार	छपरा	9828298903	
13	सुनील कुमार	छपरा	9578624000	
14	रमेश	छपरा	9672909274	
15	मंगल सिंह	गंगोरा		
16	अमिताभ जैन	गंगोरा		
17	सोहन	छपरा	9350206548	
18	नारेश	छपरा	9024584441	
19	साहू	छपरा	7850878055	
20				



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मेजर रनजीत सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलॉक विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 03/2018 क्षेत्रफल 1.1934 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,55,175 टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 1.41934 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति वाक्यांश नमूने सुनुवाई दिनांक 22.02.2023 को 12:15 PM से 01:00 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

21	गोड्डा	9660125788	छपरा	गोड्डा
22	Kun	9350186107	छपरा	Kun
23	समान	9660705641	छपरा	समान
24	Inshad	9680243884	छपरा	Inshad
25	समान	9636802804	छपरा	समान
26	समान	7878205821	छपरा	समान
27	समान	9571713638	छपरा	समान
28	समान	7340100609	छपरा	समान
29	समान	9350151558	छपरा	समान
30	समान	9582729275	छपरा	समान
31	समान	9818428533	छपरा	समान
32	RANJEET SINGH	7240193454	RAMSARH	RANJEET SINGH
33	समान	गंगोरा	9982413535	समान
34	समान	छपरा	9358251812	समान
35	Ashok Kumar	P. P. Thakur	9982313157	Ashok
36	समान	F. P. Thakur	9729867448	समान
37	Kunl Pank	9758007330	छपरा	समान
38	Achal Sharma	8439952053	छपरा	Achal
39	समान	गंगोरा	-	समान
40				
41				
42				